संख्या - 21/2016/558/61-2016

प्रेषक,

अमृता सोनी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 04 जुलाई, 2016

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उ0प्र0 के रिनोवेशन कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के कक्षों आदि का रिनोवेशन यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई 31 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार रू0 83.98 लाख में कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 481/61-2016 दिनांक 31 मई, 2016 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से रू0 85.22 लाख की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से की जा चुकी है।

3. प्रश्नगत निर्माण कार्य में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 एवं संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012 दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा।

4. कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा स्वीकृति/व्यय विषयक आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व प्रस्ताव मे औचित्य एवं धनराशि की आवश्यकता के विषय में पूर्णत: सुनिश्चित होते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और इस विषय में किसी वित्तीय अनियमितता का बिन्दु व्युत्पन्न होने की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र का होगा।

-/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- प्रश्नगत कार्य 31 मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं पुनविर्नियोग के माध्यम से प्राप्त धनराधि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-01/2016/बी-1-76/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अमृता सोनी)
विशेष सचिव।

संख्या- 558 /61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद
2- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5- कार्यालय परियोजना प्रबन्धक यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-31, डी-1141, इन्दिरा नगर, लखनऊ-16
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।